भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
कार्यालय: 61–65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, डी ब्लाक नई दिल्ली –110058
National Commission for Indian System of Medicine
Ministry of AYUSH, Govt. of India
Office: 61-65, Institutional Area, Janakpuri, D-Block New Delhi-110058
प्राणाभिसरः प्राणायतनानाम्

दूरभाष / Phone
सभापति / Chairman: 28525156
सचिव / Secretary: 28525847
कार्यालय /Office: 28525464
पंजीयन / Registration: 28522519
फैक्स / Fax: 28520878
www.ncismindia.org
secretary@ncismindia.org

क्रमांक/F.No. BUSS/UGC(AR)/2022-23

दिनांक/Date: 16.02.2023

To,

The Principal/ Dean/Director
All ASU Colleges

Subject: - Anti-Ragging Measures to be initiated by all ASUS institution - regarding.

Sir/Madam,

With reference to the subject mentioned above and in reference to this Commission's letter vide no. BOA/3-A/AACCC/2022 dated 21.12.2022; you were informed that date of Commencement of First Professional Session in all ASU colleges for the A.Y 2022-23 shall be 20th February 2023.

Further, as you all are aware that, ragging in any educational institutions has become a menace in recent years, and therefore, to curb the menace of ragging several preventive/ basic measures has to be followed by all ASU Institutes and for that UGC has notified "Regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions, 2009 (Copy Enclosed). These regulations are mandatory to be followed by all higher educational institutions.

Further, as per a D.O. letter ref no.1-15/2009 (ARC) pt III dated 27.06.2019 issued by UGC (copy enclosed) multiple mechanism are required to ensure a Ragging free campus. **Recommendations and action steps required to be deployed in your esteemed institution shall be as under:-**

A. Basic Measures:

1. Constitution of Anti- Ragging Committee, Anti- ragging Squad, Setting up of Anti-ragging cell and adequate publicity for these measures through various media are to be undertaken.
2. Mention of Anti-Ragging warning in the institution's Prospectus and information booklets/ Brochures shall be ensured.
3. Updating website of institution with the complete address and contact details of nodal officers related to anti- ragging committee
4. In compliance wth the UGC Regulations and its 2nd Amendment regarding submission of Undertaking by each student and every parent, an online undertaking in every academic year to be submitted.
5. UGC has notified 3rd Amendment in UGC Regulations on 29th June, 2016 to expand the definitation of ragging by including the following:-
   "3. "any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student (fresher or otherwise) on the ground of color, race, religion, caste, ethinicity, gender (including transender), sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity place of birth, place of residence or economic background."
6. Installing CCTV cameras at vital points.

C. Counseling and monitoring measures

1. Regular interaction and counseling with the students can detect early signs of ragging and identification of troubly-triggers.
2. Surprise inspection at hostels, students accommodation, canteens, rest-cum-recreation rooms, toilets, bus-stands and any other measure which would augur well in preventing/quelling ragging and any uncalled for behavior/incident shall be undertaken.

D. Creative Dissemination of the idea of ragging-free campus

1. Events like Anti-Ragging workshops, seminars and other creative avenues to spread the idea.

2. Safety and security apps without affecting the privacy of individuals can be creatively deployed.

The Anti-Ragging guidelines of UGC to be followed on Curbing the menace of Ragging, E-contents on abatement of Ragging such as TVCs, Jingles, Short Films and Posters etc.are available on the website of UGC for wide circulation.

Further, an advisory has also been issued by the joint secretary, UGC to the Vice Chancellor of all the universities (copy Enclosed) to take adequate steps to prevent ragging in accordance with the above mentioned regulation and as per UGC's communication dated 16.09.2022 the same is hereby forwarded to you for the implementation of the same in your institution.

Therefore, keeping view of the above points, you are hereby directed to adopt and implement the above mention steps and measures to ensure a ragging free campus. Also added that if any ragging related activity reported in your institution, you are requested to submit "the action taken report of the same to the following mail id:- president.buss@ncismindia.org.

16/2/23

(Dr. K. Jagannathan)
President, Board of Unani, Siddha and Sowa Rigpa
Nodal Officer NCISM-Anti Ragging Cell UGC

Dr. K. Jagannathan
अध्यक्ष, यूनानी, सिद्ध एवं सोवा-रिग्पा बोर्ड
President, Board of Unani, Siddha & Sowa-Rigpa
भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग
National Commission for Indian System of Medicine
नई दिल्ली/New Delhi-110058

Copy to:-

1. Chairperson, National Commission for Indian System of Medicine, New Delhi-110058.
2. All Board President, NCISM.
3. The Secretary, University Grants Commission, Ministry of Education, Govt. of India, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002.
4. The Joint Secretary, University Grants Commission, Ministry of Education, Govt. of India, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002, Contact No.: 011-23239597, E-mail: archana.ugc@nic.in
5. The Section Officer, University Grants Commission (UGC) Anti Ragging Cell, 35, Feroze Shah Road, New Delhi-110001, Contact No.:-011-23382087, Email: raggingcell@yahoo.in
6. Guard file

(Dr. K. Jagannathan)
President, Board of Unani, Siddha and Sowa Rigpa
Nodal Officer NCISM-Anti Ragging Cell UGC

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

सत्यमेव जयते

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

अ०श०मि.स० 1-15/2009 (एआरसी) पीटी.III

सितंबर, 2022

16 SEP 2022

प्रिय महोदया / महोदय,

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 887/2009 दिनांक 8.5.2009 से प्राप्त निर्देशों तथा भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग- निषेध तथा रैगिंग रोकने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए यू.जी.सी. के अधिनियम 1956 धारा 26 उपखंड (G) उपखंड (1) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए, यू.जी.सी. ने "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009" को अधिसूचित किया है । संपूर्ण जानकारी के लिये यह अधिनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट: www.ugc.ac.in और www.antiragging.in पर उपलब्ध है। यू.जी.सी. द्वारा अधिसूचित किया गया यह अधिनियम सभी शिक्षण संस्थानों के लिये अनिवार्य है और सभी संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसे पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए निगरानी प्रक्रिया सहित अन्य आवश्यक कदम उठायेंगे और इस अधिनियम में उल्लेखित भागों के किसी भी तरह के उल्लंघन को उनके द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा । यदि कोई संस्थान रैगिंग को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहता है या यू.जी.सी. द्वारा अधिसूचित अधिनियम के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है और रैगिंग की घटनाओं के दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने में विफल रहता है तो यूजीसी द्वारा उस संस्थान के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी ।

इस संदर्भ मे सभी संस्थानों से अनुरोध है कि विभिन्न रैगिंग-रोधी माध्यमों के पर्याप्त प्रचार प्रसार, रैगिंग-रोधी समिति एवं रैगिंग-रोधी दस्ते का गठन, रैगिंग-रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना, महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर, रैगिंग-रोधी कार्यशालाएं और सेमिनार का आयोजन, सभी वेबसाइटों को नोडल अधिकारियों के पूर्ण विवरण सहित अपडेट कर, अलार्म घंटी आदि द्वारा रैंगिग-रोधी तंत्र को आगे बढाएं। छात्रों से नियमित बातचीत और काउंसलिंग, शरारती छात्रों की पहचान और संस्थान के ई- प्रोस्पेकटस और ई- सूचना पुस्तिकाओं / विवरणिकाओं में रैगिंग-रोधी चेतावनी का उल्लेख सुनिश्चित किया जाए । इसके अतिरिक्त, हॉस्टल, छात्रावास, जल पान गृह, विश्राम व मनोरंजन कक्ष, शौचालयों व बस अड्डों का औचक निरीक्षण किया जाए तथा संस्थान का प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालयों, जल पान गृह, हॉस्टल, सार्वजनिक सुविधायें आदि जैसे सभी प्रमुख स्थानों पर रैंगिग-रोधी पोस्टर लगाये जाएं । ये पोस्टर यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है। पोस्टरों का आकार 8 x6 फीट होना चाहिए। संस्थान रैगिंग व किसी अनुचित व्यवहार / घटना की रोकथाम के लिये कोई अन्य उंचित उपाय भी कर सकते हैं ।

रैगिंग से जुड़ी घटनाओं के कारण संकट में पड़े छात्र राष्ट्रीय रैगिंग-रोधी हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 (24x7 टोलफ्री) पर कॉल कर सकते हैं या रैगिंग-रोधी helpline@antiragging.in पर ई-मेल कर सकते हैं। रैगिंग संबंधित अन्य जानकारी के लिये कृपया यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in और www.antiragging.in पर जाएँ और यूजीसी की निगरानी एजेंसी अर्थात सेंटर फॉर यूथ (सी4वाई) के मोबाइल नंबर 09818044577 पर संपर्क करें (केवल आपातकाल के मामले में)।

यूजीसी विभिन्न प्रकार के रैगिंग - रोधी मीडिया अभियान भी चलाती है और यूजीसी ने रैगिंग निषेध को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की हैं जो यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं:-

क) यूजीसी ने माता-पिता, पीड़ित और दोषियों के परिप्रेक्ष्य में पांच टीवी क्लिप (प्रत्येक 30 सेकंड) तैयार की हैं ।

ख) यूजीसी ने चार प्रकार के पोस्टर तैयार किये हैं और इनको विश्वविद्यालयों/ नियामक प्राधिकरणों / परिषदों / आईआईटी / एनआईटी / अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रमुख रूप से प्रदर्शित करने के लिए आवंटित किया है ।

ग) यूजीसी ने छात्रों/ शिक्षकों/ आम जनता के बीच व्यापक जागरूकता लाने के लिये रैगिंग-रोधी विषय से संबंधित दो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है।

यूजीसी विनियमों के दूसरे संशोधन के अनुपालन में, आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक छात्र और प्रत्येक माता-पिता द्वारा www.antiragging.in पर प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में एक ऑनलाइन वचनबंध (Undertaking) जमा करना अनिवार्य बनाएं।

आपसे यह भी अनुरोध है कि छात्रों द्वारा ऑनलाइन रैगिंग-रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए संशोधित प्रक्रिया को लागू करें। छात्रों को उसकी पंजीकरण संख्या के साथ एक ई-मेल प्राप्त होगा। छात्र उस ई-मेल को अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के नोडल अधिकारी के ई-मेल में अग्रेषित करेगा। **(कृपया ध्यान दें कि,छात्रों को पीडीएफ शपथ-पत्र प्राप्त नहीं होगा और उन्हें इसे प्रिंट कर हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पहले के मामले में हुआ करता था)।**

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की रैगिंग रोधी समिति के नोडल अधिकारी का ई-मेल, पता और संपर्क नंबर अपनी वेबसाइट और परिसर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालय, कैंटीन, छात्रावास और सामान्य सुविधा आदि स्थानो पर प्रदर्शित करना होगा।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों के प्रवेश पत्र में निम्नवत एक अनिवार्य कॉलम डालें:

रैगिंग रोधी वचन पत्र संदर्भ संख्या:	

विश्वविद्यालयों से यह भी अनुरोध है कि वे ऑनलाइन अनुपालन www.antiragging.in पर भरें और अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी महाविद्यालयों को भी इसका पालन करने का निर्देश दें।

सादर,

भवदीय,

रजनीश

(रजनीश जैन)

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति

प्रतिलिपि:

1. सभी नियामक प्राधिकरणों (संलग्न सूची के अनुसार) से अनुरोध किया जाता है कि आप अपने परिधि क्षेत्र में आने वाले सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में इन गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार) से अनुरोध किया जाता है कि आप अपने परिधि क्षेत्र में आने वाले सभी महाविद्यालयों /संस्थानों में इन गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
3. सुश्री जसलीन कौर, अवर सचिव (एचई), उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली-110001(jasleen.kaur@nic.in)।
4. उप सचिव, (वेबसाइट), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी की वेबसाइट पर रैगिंग से संबंधित **परिपत्रों** को अपलोड करने के लिए)
5. सुश्री अलका तोमर, सेंटर फॉर यूथ (C4Y) (alka.tomar@c4yindia.org) (antiragging.in पर अपलोड करने के लिए)

अर्चना

(डॉ अर्चना ठाकुर)
संयुक्त सचिव